रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2009/ज्येष्ठ 12, 1931
No. 93] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2009/JYAISTHA 12, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2009

सं. एल-1/(5)/2009-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (संशोधन) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 87 का संशोधन** - मूल विनियम के विनियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"87. (1) उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए या टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए सभी याचिकाएं आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार ही फाइल की जाएगी तथा इन विनियमों के अध्याय II में विनिर्दिष्ट याचिकाओं को फाइल करने से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होंगी ।

(2) याचिका के प्राप्त होने पर, आयोग का सचिवालय याचिकाओं की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा याचिका की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यथासंभव शीघ्र त्रुटियों, यदि कोई हों, को सुधारने के संबंध में सूचित करेगा तथा टैरिफ के अवधारण के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि अपेक्षित हो, मांगेगा ।

(3) याचिकाकर्ता, सचिवालय द्वारा संसूचना की तारीख से 20 दिन के भीतर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार त्रुटियों को दूर करेगा तथा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी देगा ।

(4) यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने तथा अतिरिक्त जानकारी देने में असफल रहता है तो आयोग अपने विवेकानुसार याचिकाकर्ता को कोई और सूचना बिना याचिका को रद्द कर सकेगा या/और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर उसका यदि यह समाधान हो जाने पर कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त कारणों से त्रुटियों को दूर करने से तथा अतिरिक्त जानकारी देने से निवारित किया गया था तो यथास्थिति, त्रुटियों को दूर करने या अतिरिक्त जानकारी देने के लिए समय दे सकेगा :

परंतु यह कि इस खंड के अधीन याचिका को खारिज किए जाने से याचिकाकर्ता को टैरिफ के अवधारण के लिए नया आवेदन करने से प्रवारित नहीं करेगी :

परंतु यह और कि फाइल करने की फीस के प्रयोजन के लिए, इस खंड के अधीन खारिज याचिका पर अंतर्वर्ती आवेदन के रूप में विचार किया जाएगा तथा फीस तद्नुसार संदेय होगी ।

(5) याचिकाकर्ता द्वारा त्रुटियों को सुधारने या अतिरिक्त जानकारी देने पर, उसके 10 दिन के भीतर सचिवालय द्वारा यथासंभव शीघ्र याचिका पर आयोग की सुनवाई के लिए कार्यवाही की जाएगी ।"।

3. **विनियम 103 का संशोधन** - मूल विनियम के विनियम 103 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"103.(1) आयोग ऐसे विनिश्चय, निदेश या ओदश करने के 45 दिन के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से या संबंधित व्यक्ति या पक्षकारों के किसी आवेदन पर ऐसे विनिश्चय, निदेश या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे :

परंतु यह कि इस खंड के अधीन स्वप्रेरणा पर आयोग द्वारा पुनर्विलोकन करने की शक्ति का प्रयोग किसी आनुषंगिक भूल या लोप से उद्भूत लेखन या गणितीय भूल के लिए किया जा सकेगा ।"।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/09]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में तारीख 26 अप्रैल, 1999 को अधिसूचित किए गए थे तथा निम्नानुसार उनमें समय-समय पर, संशोधन किया था :—

(i) इन विनियमों के शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में तारीख 31. 5.1999 को प्रकाशित किया गया था ।

(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2000 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में तारीख 10. 5.2000 को प्रकाशित किए गए थे ।

(iii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2002 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में तारीख 9.12.2002 को प्रकाशित किए गए थे ।